न्यायालय अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग।

वाद संख्या– 01/2025–26

मुलकी देवी बनाम विष्णु महतो

क्र० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी

आदेश

अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका मुलकी देवी पति शिबु महतो, ग्राम–डाड़ी, थाना– गिद्दी, जिला– हजारीबाग के द्वारा मौजा–डाड़ी, खाता सं0. 51, प्लॉट सं0–1127, रकवा– 31डी0 किस्म रैयती भूमि विवाद से संबंधित आवेदन प्राप्त है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है अंचल अमीन के साथ स्थल जाँच के क्रम में द्वितीय पक्ष से कागजात की मांग की गई परंतु कागजात प्रस्तुत करने से इनकार किया गया आवेदिका द्वारा संलग्न भूमि के कागजात के आधर पर मौजा– डाड़ी के खाता संख्या– 51,प्लॉट संख्या 1127, रकवा– 31 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या 142/III पर मुलकी देवी पति सिबु महतो के नाम से दा0खा0 वादसंख्या 214/93–94 द्वारा (के0सं0 13565 दिनांक 09.12.88 द्वारा) स्वीकृत होकर दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है। राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदिका एवं द्वितीय पक्ष विष्णु महतो पिता मतलु महतो ग्राम–डाड़ी को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात की मांग की गई है। उभय पक्षों के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित कागजात समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला, रसीद वर्ष 2010–11 तक निर्गत एवं द्वितीय पक्ष विष्णु महतो के द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार का हुकूमनामा दिनांक 12.12.1950 समर्पित किया गया। समर्पित कागजातों का अवलोकन किया गया। पाया गया कि मुलकी देवी उक्त भूमि केवाला के माध्यम से विक्रेता डोमन राम वगै0 पिता झुनु राम से क्रय किया गया है। पंजी II के पृष्ठ सं 142/III पर मुलकी के नाम से दाखिल–खारीज वाद संख्या 214/93–94 से स्वीकृत होकर दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार का हुकूमनामा दिनांक 12.12. 1950 समर्पित किया गया है, जिसका पंजी II में जमाबंदी कायम नहीं है। उक्त भूमि पर कई वर्षो से खेती–बारी करते आ रहे है।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन में पाया गया कि उक्त भूमि का पूर्व में न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग में धारा 144 द0प्र0स0 वाद संख्या 66/21 मुलकी देवी बनाम विष्णु महतो आदेश पारित किया गया है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि उक्त भूमि का मामला हक–हकियत से संबंधित है जिसका निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में पहल करने हेतु स्वतंत्र है का आदेश पारित किया गया है।

अतः उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों एवं राजस्व कागजातों का अवलोकन के उपरांत मैं इस निकर्ष पर पहुँचता हुँ कि इस संबंध में पूर्व में न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग में आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः कोई आदेश पारित करना उचित प्रतित नहीं होता है। चूँकि मामला हक–हकियत से संबंधित है जिसका निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में पहल करने हेतु स्वतंत्र है।

इसी आदेश के साथ अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.09.18 16:05:01 +05:30
Location: 192.168.30.242

अंचल अधिकारी,
डाड़ी, हजारीबाग।

08/09/25

अंचल अधिकारी,
डाड़ी, हजारीबाग।